

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

दावा संख्या 137/17	पीठासीन अधिकारी:- दायरा दिनांक 08.06.2017	साधुराम जाट, आर.ए.एस. निर्णय दिनांक 05.10.2018
-----------------------	---	--

जयसिंह

योगेन्द्र पुत्रांन रतिराम

विक्रम पुत्र वीरसिंह

इशवन्ती देवी पन्ति

शर्मिला देवी पुत्री वीरसिंह जातियां जाट निवासी सुन्दरवाडी तह0 मुण्डावर,अलवर
वादीगण-

बनाम

1. राज्य सरकार जयें लैण्ड होलडर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवरण

प्रतिवादी-


दावा-इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज

.....प्रतिवादीगण

वादगण की ओर से श्री हंसराज यादव एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 05.10.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

आराजीयात ख0न0 320/0.34, 219/0.53, 279/0.24, 596/0.59, 597/0.47 हैक्टर वाके ग्राम सुन्दरवाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड ने वादीगण के नाम का गैर खातेदारी के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं विवादीत आराजीयात के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे"

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.10.2018 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(साधुराम जाट) 05/10/18
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर
मुण्डावर (अलवर) राज0